भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 77**

दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तरार्थ

**स्‍थानीय निकायों में अन्‍य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्‍व**

**†**77. श्री नरेन्‍द्र कुमार कश्‍यप :

क्‍यापंचायती राज मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

1. क्‍या राज्‍यों और संघ राज्‍यों में नगर निगमों, निकायों तथा ग्राम पंचायतों में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्‍व आरक्षण के आधार पर दिया गया है ;
2. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; और
3. यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है ?

**उत्‍तर**

**पंचायती राज, राज्‍य मंत्री**

**(श्री निहाल चंद)**

(क) एवं (ख) पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में किसी भी पंचायत और नगरपालिका में स्‍थानों (सीटों) का आरक्षण प्रदान करने संबंधी विषय क्रमश: संविधान के भाग IX के अनुच्‍छेद 243 घ (6) और भाग IX क के 243 न (6) के अनुसार राज्‍य की विधायिका के विवेकाधीन हैं। तद्नुसार, वे सभी राज्‍य व संघ राज्‍य क्षेत्र (यूटीज़), जहां संविधान का भाग IX एवं IXक लागू है, के अपने-अपने विधान हैं, जो पंचायतों व शहरी स्‍थानीय निकायों के विभिन्‍न स्‍तरों पर अन्‍य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान कर सकते है।

(ग) प्रश्‍न नहीं उठता।

**\*\*\*\*\*\*\***